



**झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची**  
**JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI**

**वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2017 के संबंध में अतिआवश्यक सूचना**

**विज्ञापित संख्या - 81/2016**

एतद् द्वारा सभी कोटिके उच्च विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2017 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का पंजीयन रसीद (सत्र 2015-17) एवं वर्ष 2017 की माध्यमिक परीक्षा के लिए सादा परीक्षा आवेदन प्रपत्र का वितरण दिनांक 01.12.2016 से 06.12.2016 तक परिषद् कार्यालय, राँची, संचाल परगना प्रमण्डल के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका तथा पलामू प्रमण्डल के लिए प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर से किया जायेगा। विद्यालय प्रधान स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत दूत के माध्यम से उसे प्राप्त कर सकेंगे।

नोट:- (1) जैसे विद्यालय, जहाँ सरकार द्वारा प्रायोजित विशेष पाठ्यक्रम के अनुसार अतिरिक्त विषय के रूप में एक व्यावसायिक विषय का शिक्षण कराया जा रहा है एवं उक्त छात्र वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2017 में सम्मिलित हो रहे हैं, के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका को सूचित किया जाता है कि उक्त छात्र/छात्राओं के द्वारा पंजीयन में अतिरिक्त विषय के रूप में किसी न किसी विषय का चयन पूर्व में कर लिया गया है। अब वे सरकार द्वारा प्रयोजित पाठ्यक्रम के अनुसार अतिरिक्त विषय के रूप में एक व्यावसायिक विषय का शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। छात्र हित में परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया है कि छात्रों को भाषा-1, भाषा-2 एवं अतिरिक्त विषय के रूप में व्यावसायिक विषय का चयन का एक मौका दिया जाए।

उक्त के आलोक अनुरोध है कि एक सप्ताह के अन्दर उक्त छात्र/छात्राओं द्वारा भाषा-1, भाषा-2 एवं अतिरिक्त विषय के रूप में चयनित व्यावसायिक विषय के संबंध में परिषद् कार्यालय में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट किया जाए जिससे कि संबंधित छात्र/छात्रा के पंजीयन स्लिप में वास्तविक विषय (व्यावसायिक विषय) समाहित कर परिषद् द्वारा नये रूप में पंजीयन स्लिप उपलब्ध कराया जा सके।

(2) यदि पंजीयन स्लीप में साक्ष्य आधारित किसी तरह का संशोधन (यथा-नाम/पिता का नाम/माता का नाम/विषय/फोटो/जन्मतिथि) की आवश्यकता हो तो परिषद् कार्यालय, राँची, संचाल परगना प्रमण्डल के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल के लिए प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर से दिनांक 22.12.2016 तक अवश्य करा लिया जाय। विद्यालय द्वारा किया गया संशोधन मान्य नहीं होगा।

(3) पूर्णरूप से भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद् में जमा करने की तिथि बाद में प्रकाशित की जायेगी।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

(रजनीकान्त वर्मा)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/MT./7648/10/SECY/456/16

Dt. 28.11.16

D.O.P: 29.11.16